उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून
UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY DEHRADUN
महिला पॉलीटेक्निक परिसर, पो०ऑ० चन्दनवाड़ी, सुद्धोवाला, देहरादून-248007, उत्तराखण्ड
Govt Girls Polytechnic Campus, P.O. Chandanwari, Sudhowala, Dehradun-248007, U.K.
Website www.uktech.in Tel 0135-2770126, 127, 128 Fax : 0135-2770124

55

वित्त समिति की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 03/05/2012, (बृहस्पतिवार) का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय सुद्धौवाला, देहरादून की **वित्त समिति की ग्यारहवीं बैठक, दिनांक 03/05/2012 (बृहस्पतिवार)** को **अपराह्नं 03 बजे** प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय कक्ष में मा० कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित/सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित महानुभावों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

01	प्रो० डी०एस० चौहान, कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	अध्यक्ष
02	श्री राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, उ०ख० शासन।	सदस्य
03	श्री एम०सी० जोशी, अपर सचिव वित्त (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त)।	सदस्य
04	डॉ० जी०एस० रजवार, उपनिदेशक, उच्च–शिक्षा (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, उच्च–शिक्षा)।	सदस्य
05	श्री प्रमोद कुमार जोशी, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	सदस्य/सचिव
06	डॉ० आशीष उनियाल, उप–कुलसचिव (प्रतिनिधि कुलसचिव), उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	सदस्य
07	प्रो० अनुराग स्वामी, प्राचार्य, जी०बी० पंत इंजी० कॉलेज, घुडदौडी (गढ़वाल)	सदस्य

बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार विनिश्चय (निर्णय) लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दुः–01

दिनांक 15.11.2011 को वित्त समिति की सम्पन्न दसवीं बैठक का कार्यवृत्त एवं तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही

विनिश्चयः– वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से विगत दसवीं बैठक दिनांक 15.11.11 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गयी।

एजेण्डा बिन्दुः–02 (अ)

सुद्धोवाला में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन एवं अन्य संगत कार्यो की भौतिक व वित्तीय प्रगति संज्ञानार्थ एवं तत्सम्बन्धी पुनरीक्षित आगणन रू0 3458.05 लाख पर शासन से प्रत्याशित प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष वर्ष 2012–13 मे अग्रेत्तर किस्त अवमुक्ति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ ।

इस कम में कार्यदायी संस्था से प्राप्त माह मार्च 2012 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सूचना के आधार पर संकलित प्रगति सूचना संज्ञानार्थ प्रस्तुत है। तद्नुसार अवगत कराना है कि निर्माणाधीन भवन पर अबतक कुल क्रमिक भौतिक प्रगति 76 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है तथा शासन द्वारा पूर्व स्वीकृत लागत 2220.52 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्थान को अबतक कुल रू0 2200.00 लाख अवमुक्त किये जा चुके है। तद्नुसार अवशेष रू0 20.52 लाख है। इस कम में यह भी सूच्य है कि अबतक प्रदत्त/अवमुक्त किस्तों के सापेक्ष विश्वविद्यालय के तकनीकी सलाहकार से कृत कार्यों की मूल्यांकन लागत रू0 2182.31 लाख आगणित है। अवगत कराना है कि निर्माणाधीन भवन के डिजाइन एवं कतिपय अन्य मदों में आंशिक संशोधन/वृद्धि के कारण कार्यदायी संस्था से भवन का पुनरीक्षित/विस्तृत आगणन रू0 3458.05 लाख का प्राप्त कर शासन को प्रशासनिक स्वीकति हेतु पूर्व ही पत्रांक 9856/लेखा दिनांक 24.09.11 द्वारा भेजा जा चुका है जिसका कुर्सी क्षेत्रफल अब 6230 वर्ग मी0 के स्थान पर 7280 वर्गमी0 है जिस पर प्रशासनिक स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राप्त होना प्रत्याशित है। यद्यपि कार्यदायी संस्था द्वारा अनुबन्ध के आधार पर निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन एवं संगत अन्य कार्य दिनांक 31.12.2011 तक पूर्ण कराना अनुबन्धित था। किन्तु अब उक्तानुसार भवन के डिजाइन में कतिपय आंशिक संशोधन के कारण पुनरीक्षित प्रांकलन पर अभी तक शासन से प्रशासनिक स्वीकृति अप्राप्त रहने पर प्रश्नगत निर्माणकार्य हर दशा में चालू वित्त वर्ष 2012–13 अर्न्तगत शत प्रतिशत पूर्ण कराना/विभाग को हस्तान्तरित होना सम्भावित है। तद्नुसार निर्माणाधीन भवन पर कार्यदायी संस्था को शासन से

प्रत्याशित स्वीकृति के दृष्टिगत अवशेष भुगतान कार्य की भौतिक प्रगति एवं उपलब्ध बजट के आधार पर किस्तें अवमुक्त किया जाना भी प्रस्तावित है। इस क्रम में यह भी संज्ञानार्थ प्रस्तुत है कि उक्त भवन के भूतल पर विश्वविद्यालय द्वारा एम0फार्मा0/सिक्वेंशियल एम0टैक0/एम0टैक0 पाठ्यक्रम की कक्षाएं भी विगत वर्ष 2011–12 से यथावत चलायी जा रही है।

विनिश्चयः–

इस प्रकरण पर गहन विचार विमर्श बाद वित्त समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

1. निर्माणाधीन भवन पर प्रारम्भ से अबतक स्वीकृत लागत रू0 2220.52 लाख के सापेक्ष रू0 22200.00 लाख अवमुक्त किये जाने पर भी तत्सम्बन्धी क्रमिक भौतिक प्रगति मात्र 76 प्रतिशत है जिस पर मा0 प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कतिपय अन्य मा0 सदस्यों द्वारा असन्तोष/अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। इसी क्रम में मा0 प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा की अपेक्षानुसार समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि 10.5.2012 को विश्वविद्यालय मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में एवं मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक आहूत की जायेगी। जिसमे प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं विश्वविद्यालय के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगें।
2. सर्व सम्मति द्वारा निर्णय लिया गया कि निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन पर पुनरीक्षित प्रांकलन के आधार पर अग्रेत्तर किस्तें शासन से पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर अनुमोदित/उपलब्ध बजट के दृष्टिगत मा0 कुलपति महोदय द्वारा समय समय पर निर्धारित किश्तें अवमुक्त की जायेगी।

एजेण्डा बिन्दु 02 (ब)

उक्त प्रस्तर बिन्दु 02 (अ) के क्रम में शासन के पत्रांक 365/XLI-1 /2012–126/09 दिनांक 04.04.2012 द्वारा उक्त पुनरीक्षित आगणन रू0 3458.05 पर अपेक्षित आख्या/संस्तुति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

उक्त वर्णित पुनरीक्षित आगणन रू0 3458.05 लाख पर शासन द्वारा पत्रांक 365/XLI-1/2012–126/09 दिनांक 04.04.2012 में सन्दर्भित विश्वविद्यालय के पत्रांक 9856/लेखा/प्रभनि0–25/2011–12 दिनांक 24.09.11 के क्रम में स्पष्ट आख्या/संस्तुति चाही गयी है। चूंकि यह प्रकरण अब शासन स्तर पर लम्बित है एवं प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु शासन से कोई भी ग्रान्ट अभी तक प्रदत्त नही की गयी अथवा नही की जा रही है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय के आय प्राप्ति के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत इस क्रम में शासन की प्रशासनिक स्वीकृति को ही अन्तिम निर्णय अनुमन्य किया जायेगा।

अतः प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय(02 ब):–:–

इस क्रम में सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मति द्वारा निर्णय लिया गया कि चूंकि यह प्रकरण अब शासन स्तर पर विचाराधीन है अस्तु इस क्रम में शासन द्वारा लिया गया निर्णय ही अनुमन्य होगा।

एजेण्डा बिन्दुः–03

शासन द्वारा पिथौरागढ़ में वित्त वर्ष 2011–12 में स्वीकृत/नवसृजित एवं संचालित हो रहे सीमान्त प्रौद्यौगिकी संस्थान, पिथौरागढ़ हेतु प्रथम चरण में प्रस्तावित आवश्यक भवनों का निर्माण कार्य आबंटित भूमि पर चालू वित्त वर्ष 2012–13 में आरम्भ कराने एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम किस्त अवमुक्ति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ_।

इस क्रम में अवगत कराना है कि उक्त संस्थान की अवस्थापना सुविधाओं यथा प्रयोगशाला उपकरण/कार्यशाला उपकरण/कार्यालय अन्य उपकरण, पाठ्यपुस्तकों, फर्नीचर एवं वाहन आदि क्रय हेतु विश्वविद्यालय को माह दिसम्बर, 2011 में शासनादेश सं0 1241/XLI-1/2011-127/11 दिनांक 23.12.2011 द्वारा ग्रान्ट रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़ मात्र) के रूप में प्राप्त है जिसे माह जनवरी, 12 में आहरित कर सुद्धोवाला में स्थित बी0ओ0बी0 में एक पृथक खाता सं0 35820100000696 खोलकर रखा गया है। तद्नुसार प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रस्तावित है। उक्त संस्थान के भवन निर्माण की अनावर्तक मद (भवननिर्माण) में स्वीकृत आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किया जाना उक्त शासनादेश में निर्देशित है तद्नुसार भवन निर्माण कार्य हेतु शेष 50 प्रतिशत धनराशि का अंश विश्वविद्यालय निधि से वहन किया जाना प्रस्तावित है एवं आवर्तक मद में शत प्रतिशत धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है। इस संस्थान के प्रथमचरण में आवश्यक भवनों पर चालू वित्तं वर्ष 2012–13 में निर्माण कार्य आरम्भ कराने एवं विश्वविद्यालय निधि से देय धनराशि अनुमानतः रू0 4.00 करोड़ किस्तों में अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय(03):–

इस प्रकरण पर गहन विचार विमर्श उपरान्त वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा सीमान्त प्रौद्यौगिक संस्थान पिथौरागढ़ हेतु विश्वविद्यालय के माध्यम से अवमुक्त धनराशि रू0 1.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 75.00 लाख अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस ग्रान्ट के सापेक्ष संस्थान द्वारा वित्त वर्ष 2011–12 में